

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर में
अभियोजन तथा शास्तियों का प्रशासन

संघ सरकार
राजस्व विभाग
अप्रत्यक्ष कर - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर
2014 की सं. 29

लोकसभा/राज्यसभा के पटल पर प्रस्तुत किया गया

विषय सूची

विषय	पृष्ठ
प्राक्कथन	(i)
कार्यकारी सार	(iii)
अध्याय I : प्रस्तावना	1-8
1.1 प्रस्तावना	1
1.2 संगठनात्मक ढांचा	2
1.3 हमने यह विषय क्यों चुना	3
1.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य	4
1.5 लेखापरीक्षा का क्षेत्र तथा कार्यप्रणाली	4
1.6 कानूनी प्रावधान	5
1.7 आभार	8
अध्याय II : अभियोजन तथा शास्तियों का प्रशासन	9-55
2.1 अभियोजन आरम्भ करना	9
2.2 अभियोजन की प्रक्रिया	10
2.3 सांख्यिकीय सूचना	12
2.4 आयु वार विश्लेषण	13
2.5 अल्प राजस्व वाले मामलों में अभियोजन	17
2.6 जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विलम्ब	18
2.7 संस्वीकृति अधिकारी द्वारा अनुमोदन	20
2.8 शिकायत दायर करने में विलम्ब	22
2.9 अभियोजन मामलों की समीक्षा	24
2.10 अभियोजन मामलों के संबंध में विभाग द्वारा उचित ध्यान की कमी	30
2.11 अभियोजन मामलों की कम संख्या वाली कमिश्नरियां	36
2.12 अभियोजन मामलों का समझौता	39
2.13 समझौता करने के आवेदनों को निपटाने में विलम्ब	39
2.14 महानिदेशक (निरीक्षण) द्वारा मानीटरन	40

2.15	धारा 9 ख का प्रयोग करने के लिए न्यायालय से प्रार्थना	41
2.16	आदतन अपराधियों की पहचान	42
2.17	अभियोजन रजिस्टर का रखरखाब तथा अद्यतन किया जाना	44
2.18	अभियोजन वापस लेना	45
2.19	विविध मामले	47
2.20	उपसंहार	55
<hr/>		
	संकेताक्षर	57
<hr/>		